न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 62/2017

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. रेवतसिंह पुत्र जुंझारसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाडा 2. मदनराम पुत्र रामसुख जाति बावरी निवासी भगासनी बिलाड़ा, जिला जोधपुर 3. भंवरलाल पुत्र गोकलराम जाति जाट निवासी खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1व 2 की ओर से श्री अ"ोक कुमार पटेल एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि पर वादी का हक व हिस्सा है। वादी इस भूमि पर बहैसियत खातेदार का"तकार काबिज है। जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। अभी बरसात होने पर वादी ने अपनी सयुंक्त खातेदारी की बंटसुदा भूमि खसरा नम्बर 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5, 123/8 में तिलि, बाजरी, मूंग की फसल को बोया। दिनांक [illegible] 2017 को वादी अपनी संयुक्त खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

की बंटसुदा भूमि में फसल कटाई का कार्य करने के बाद खेत में खडाई कर रहा था। तो इतने में प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी के खेत के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवे"ा कर वादी को धमकी दी कि खेत में खडाई का कार्य कैसे कर रहा है, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि खेत मेरी खातेदारी के है, आपका मेरी खातेदारी भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करन का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी को कहा कि खेत मुगाते पर दे रखे है। तो वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 3 को कहा कि खेत पर मैं ही का"त कार्य करता हूं मेरी बंटसुदा व कब्जा का"तसुदा भूमि पर मुगाते पर देने का किसी को कानूनी अधिकार नही है, मै मेरी बन्टसुदा भूमि पर शुरू से लेकर आज दिन तक का"त कार्य कर बंट सुदा भूमि को बोता हूं। इतने में प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादी के साथ मारपीट कर धक्का धूम देना शुरू कर दिया तो वादी चिल्लाया आस पडोस के का"तकारों ने वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 3 स छुडवाया और प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने जाते जाते एलानिया धमकी दी कि उपरोक्त खातेदारी भूमि के अन्दर आ गया तो जान से ही खत्म कर देंगे। दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जा का"तसुदा की है, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 3 को किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने नाजायज तौर से कब्जा करने की नियत से का"त करना शुरू कर वादी की खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी है। इस कारण वादी का अपने खातेदारी अधिकारों एवं काब्जे का"त की रक्षा के लिए यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है। अगर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादी के कब्जे का"त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से एवं का"त करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती नहीं की जा सकती एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादी के कब्जे का"त में दखल करने से रोका जाना आव"यक है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर का"त करने का वादी को पूरा अधिकार है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादी के कब्जे का"त मे किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नहीं है फिर भी प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी को का"त नही करने देने की धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 3 को वादी के कब्जें का"त में नाजायज दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम आमसरी तहसील किसना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा मं वादी के बंटसुदा, कब्जे का"त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल हस्तक्षेप करे तथा न अन्य किसी से करावें, न ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर का"त आदि कार्य करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिय सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी उपरोक्त वर्णित भूमि का सहखातेदार है वादपत्र में वर्णित खसरान की भूमि वादी पु"तैनी कृषि भूमि है पूर्व में उक्त कृषि भूमि वादी के पिता स्वर्गीय नाथूसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। स्वर्गीय नाथूसिंहजी के स्वर्गवास के प"चात उक्त कृषि भूमि उनके जाईन्दा सन्तान नरेन्द्रसिंह, भरतसिंह, विरेन्द्रसिंह, ि"ावकुमारी, कल्याण कंवर, वदवंती कंवर, हेमलता के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, जिसमें से ि"ावकुमारी ने अपना सम्पूण हिस्सा विरेन्द्रसिंह के हक में जरिये हकतर्कनामा कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय नाथूसिंहजी ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरान की भूमि का मौखिक बंटवाडा कर दिया था, जिसके तहत खसरा सं. 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की भूमि उनकी छोटी पुत्री हेमलता कंवर के हक हिस्से में रखा गया। इसी प्रकार अन्य वारिसान के हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का मौखिक बंटवाडा स्वर्गीय नाथूसिंहजी द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया गया था तथा मौखिक बंटवाडे के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि की माटे कायम की गई। वादी भरतसिंह विगत तीस चालीस वर्षो से ग्राम भगासनी में रहवास नहीं करता है। भरतसिंह की भुआ श्रीमती ओमकंवर व सोहनकंवर के कोई जाईन्दा संतान नहीं होने के कारण भरतसिंह आज से करीब चालीस वर्ष पूर्व बचपन में ही ओमकंवर व सोहन कंवर के गोद पुत्र चला गया जो विगत तीस चालीस वर्षो से पांचलाखुर्द, तहसील औसियां जिला जोधपुर में रहवास करता है तथा ओम कंवर व सोहनकंवर के हिस्से की भूमि पर का"त करता है इस पद में वर्णित यह तथ्य भी गलत है कि प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने वादी की खातेदारी भूमि पर कोई दखलअन्दाजी पैदा की हो। यहां यह लिखना भी उचित होगा कि वादी की छोटी बहिन हेमलता कंवर को उनके ससुराल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

वालों द्वारा परित्यक्त कर रखा है, जो अपने पिता द्वारा उसके हिस्से में दी गई कृषि भूमि खसरा स. 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर का"त करती है एवम रहवासीय मकान बनाकर रहवास प्रारम्भ किया। इसी प्रकार वादी की अन्य बहिन कल्याण कंवर भी अपने हक हिस्से की जमीन पर रहकर कृषि कार्य करती है वादी की नीयत में खोट है तथा वह अपनी बहिनों को वादग्रस्त कृषि भ्मि से बेदखल करना चाहता है जिस हेतु वादी ने कई बार उनके साथ मारपीट की। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है पूर्व में भी वादी द्वारा इसी आ"ाय का एक वाद प्रतिवादी सं. 1 रेंवतसिंह के विरूद्ध पे"ा किया है तथा अजनबी खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदे"ा प्राप्त कर उक्त आदे"ा की आड में वादी अन्य सह–खातेदारों को तंग व परे"ाान करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादी को कभी धमकी नहीं दी और ना ही उनकी खातेदारी भूमि पर कोई बाधा, अडचने ही पैदा की। यहां पर यह लिखना भी उचित होगा कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर विगत तीस वर्षो से कभी भी का"त कार्य नहीं किया, बल्कि वादी का भाई विरेन्द्रसिंह ने अपने खर्चे से वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपने हिस्से की भूमि पर नलकुप व कुंआ खुदवाकर सिंचाई कार्य प्रारम्भ किया, किन्तु वादी की गलत हरकतों के कारण विरेन्द्रसिंह को भी इस मुकदमें की आड में कृषि कार्य करने से वादी अडचने पैदा कर रहा है प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादी को कभी तंग व परे"ाान नहीं किया और ना ही प्रतिवादी उतरदेहन्दा उक्त कृषि भूमि पर कभी गये और ना ही उक्त कृषि भूमि कहां पर अवस्थित है इस सम्बन्ध में ही कोई जानकारी है प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.09.2017 को एवं अन्य समय में वादी को कोई धमकी नहीं दी। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी ने अपन वादपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि के अन्य सह–खातेदार को मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण से वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने से वादी कतई साम्य की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस कारण वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने योग्य है वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थगन आदे"ा प्राप्त कर उक्त आदे"ा की आड में अन्य सह–खातेदारों को तंग व परे"ाान करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्त में जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 2 उतरदाता का जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य कोई उचित आदे"ा जो बहक प्रतिवादीगण उतरदाता विरूद्ध वादी हा सादिर फरमाया जावे। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आव"यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान के उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया वादी भूमि ग्राम भगासनी (पटवार हल्का सम्बाडिया) के खसरान नं. 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5 व 123/8 कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2. अनुतोष

उपरोक्त तनकीयात के समर्थन में वादी की ओर से साक्ष्य वादी में भरतसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह पी.डब्ल्यू 1 पे"ा किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रद"र् 1 जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 ग्राम भगासनी खसरा नम्बर 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5 व 123/8 प्रदर्"ात करवायो गयो। प्रतिवादीगण की ओर से गवाह डी.डब्ल्यू 1 रेंवतसिंह पुत्र जुंझारसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पे"ा किया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी सयुक्त खातेदार का"तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नही है प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादी के कब्जे का"त में किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी को का"त नही करने देने की धमकी दे रहे है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादी के कब्जे का"त में नाजायज दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे। दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जवाबदावे में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए तर्क दिया कि स्व. नाथूसिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरान की भूमि का मौखिक बंटवाड़ा कर दिया था, जिसके तहत खसरा नम्बर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा की भूमि उनकी छोटी पुत्री हेमलता कंवर के हक हिस्से में रखा गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नही है। वादी द्वारा वाद पत्र में अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है। अन्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा संबंधित दस्तावेजो का परी"ीलन किया गया बाद प्रकरण में तनकीयात का बिन्दूवार निस्तारण निम्नानुसार है :—

तनकी संख्या 1 आया वादी भूमि ग्राम भगासनी (पटवार हल्का सम्बाडिया) के खसरान नं. 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5 व 123/8 कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी ने अपने वादपत्र में अभिकथन किया कि विवादित भूमि ग्राम भगासनी की सरहद में खसरा नम्बर 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5 व 123/8 कुल खसरा 6 कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में वादी रेकर्डेड सह खातेदार है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा कानूनी तौर पर निहित है। दौराने जिरह वादी ने कथन किया कि प्रत्येक खसरे में मेरा कब्जा का"त है तथा सभी खसरे लगते हुए है, गत वर्ष सभी खसरों में कपास व सौप की फसल बोयी थी। सिंचित फसल व सावणु फसल मैने काटकर निकालकर बाजार में बैचान कर दी। गत वर्ष रामाराम के अलावा रेवतसिंह से कहासुनी हुई। रेवतसिंह मेरे खेत में जबरदस्ती आया था। मैने रेवतसिंह के विरूद्ध इस कोर्ट के अलावा अन्य कोई कार्यवाही नही की। मैने पुलिस थाना में रेवतसिंह के खिलाफ कोई मुकदाम दर्ज नही करवाया। उक्त सभी खसरों में निर्माण है तो मुझे पता नही, मेरा निवास गांव मे है व खेतों में भी रहता हूँ मेरी झोपड़ी बनी हुइ है। मै झौपड़ी में ही खाना पानी बनाता हूँ। जिसका खण्डन करते हुए प्रतिवादी ने जिरह में अभिकथन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में नाथूसिंह जी की खातेदारी की थी। नाथूसिंह के तीन पुत्र तथा चार पुत्रिया है जिनमें से हेमलताकंवर ग्राम भगासनी में रहती है व मेरी पड़ौसी है। मै हेमलता कंवर व विरेन्द्रसिंह के साथ पे"ी पर आता जाता रहता हूँ। वादी ने मेरे विरूद्ध 51/16 भरतसिंह बनाम रेवतसिंह वगैरा दर्ज कराया था उक्त वाद का निर्णय मेरे विरूद्ध हुआ। मुझे यह जानकारी नही है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मुझे भूमि [illegible] दी हो। विवादग्रस्त भूमि का मै

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

मालिक नही हूॅ। उक्त दावा का निर्णय होने के बाद मैने दुबारा जाकर का"त नही की। यह कहना गलत है कि दिनांक 17.09.2017 को वादी अपनी सयुक्त खातेदारी की भूमि में खड़ाई का कार्य कर रहा हो उसमें मैने कोई दखलन्दाजी पैदा की हो। वादी एवं प्रतिवादी की जिरह से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी पैदा नही की तथा वादी ने दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया कि उक्त सभी खसरों में निर्माण है तो मुझे पता नही जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक खसरों पर वादी का कब्जा का"त नही है। उपरोक्त भूमि सयुक्त खातेदारी की है जिसमे खातेदार हेमलताकंवर का भी बंट आता है तथा प्रतिवादी ने अपने जवाब एवं साक्ष्य में यह कथन किया कि वादी की छोटी बहन हेमलता कंवर परित्यक्ता स्त्री है जो अपने पिता द्वारा उसके हिस्से में दी गयी भूमि पर का"त करती है तथा वादी अपनी बहन हेमलताकंवर को उपरोक्त कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है। वादी को दिनांक 17.09.2017 को कोई वादकारण उत्पन्न नही हुआ क्योकि अगर प्रतिवादी वादी के हिस्से में दखल पैदा करता तो वादी उसकी ि"ाकायत सम्बंधित पुलिस थानें मे दर्ज करवाता। अन्य सयुक्त खातेदारान को अपनी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी करने बाबत् कोई ि"ाकायत नही होने से तथा सयुक्त खातेदारी भूमि में किसी एक खातेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दखल करने से रोकने का दावा चलने योग्य नही होने के कारण तथा राजस्व मूल वाद संख्या 68/2017 के निर्णय दिनांक 17.03.2020 के जरिये वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री व निर्णय जारी कर दिया गया। जिसकी पालना हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय व डिक्री पर्चा की तहरीर जारी की गयी है। राजस्व मूल वाद संख्या 68/2017 के अन्तिम निर्णय व डिक्री के समय वादी अपनी रेकर्डेड खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी पैदा नही बाबत् इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए उक्त तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अन्य अनुतोष उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित हो जाने के कारण वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादकारण के अभाव में तथा सयुक्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाने के कारण तथा उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फै"ालसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. रेवतसिंह पुत्र जुंझारसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी भगासनी तहसील बिलाडा 2. मदनराम पुत्र रामसुख जाति बावरी निवासी भगासनी बिलाड़ा, जिला जोधपुर 3. भंवरलाल पुत्र गोकलराम जाति जाट निवासी खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 62/2017

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, पतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादकारण के अभाव में तथा सयुक्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाने के कारण तथा उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फै"ालसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:50 IST
Reason: SelfAttested